कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल –462004

क्रमांक / /रा.छा./2006 भोपाल, दिनांक फरवरी 2006

प्रति,

समस्त प्राचार्य
अग्रणी महाविद्यालय
मध्यप्रदेश

विषयः–नवीन राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना 2004–05

// निर्देश //

प्रायः ऐसा देखा गया है कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत आवेदन–पत्र अपूर्ण होते है और उनके साथ आवश्यक प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किये जाते है । जिसके कारण छात्रों से अनावश्यक पत्र व्यवहार करना पड़ता है और व्यर्थ में समय एवं श्रम नष्ट होता है ।

अतएव आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख/कागजात संलग्न किये गये है । यदि नहीं तो संबंधित छात्र/छात्रा को आवश्यक पूर्तियां करके ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये कहा जाये । नवीन राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना विषयक भारत शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ– 12–21/2002/एन एस. 1, दिनांक 16.2.05 की प्रति सुलभ संदर्भ के अवलोकन हेतु संलग्न की जा रही है । योजना का मुख्य विवरण निम्नानुसार है :–

<u>राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2005–06</u>

1. 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष को समस्त स्त्रोतों से होने वाली वार्षिक आय जिसमें पिता, माता एवं छात्र की स्वंय की आय यदि कोई हो तो, सम्मिलित करते हुये आय घोषणा पत्र (इनकम एफिडेविट) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अथवा पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये । आय घोषणा पत्र पिता द्वारा निर्धारित फार्म में दिये जाये । यदि पिता जीवित नहीं है तो उनका मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करते हुये आय घोषणा पत्र माता द्वारा दिया जाये ।

यदि दोनों जीवित नहीं हो तो दोनों का मृत्यु प्रमाणपत्र भेजते हुये छात्र को स्वंय की आय यदि कोई हो , दर्शाते हुये आय घोषणा पत्र दिया जावें । अन्य का मान्य नहीं होगा । आय घोषणा प़त्र
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अथवा पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है । उसी वित्तीय वर्ष का देवें उदाहरण जिस वर्ष में अर्हकाररी परीक्षा उत्तीर्ण की है । उदाहरर्णाथ वर्ष 2005–06 के लिये वित्तीय वर्ष 2004–05 की आय घोषणा पत्र एवं वेतन प्रमाणपत्र संलग्न किया जावे ।

2. अधिकार पत्र का अंतिम भाग समस्त प्रविष्टियों सहित जैसे कक्षा प्रवेश तिथि प्राचार्यो द्वारा प्रमाणित जहां छात्र/छात्रा ने प्रवेश लिया हो आवश्यक रूप से संलग्न किया जावें । संस्था की मोहर भी अंकित की जाये ।

3. यदि माता/पिता वेतन भोगी है, तो आहरण अधिकारी अथवा नियोक्ता द्वारा वेतन प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे । जिसमें मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि समस्त परिलब्धियां पूर्ण वर्ष को दर्शाये जाये । (मकान किराया भत्ताको छोड़कर) साथ ही कंडिका (1) के अनुसार आय घोषणा पत्र भी निर्धारित फार्म में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावें ।
4. पेंशन अथवा फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाले पिता या माता के सेवानिवृत्ति आदेश की प्रतिलिपि एवं पेंशन निर्धारित प्रमाण पत्र/पेंशन भुगतान आदेश की प्रतिलिपी संलग्न की जाये । (कम्युटेशन के पूर्व की पेंशन) कंडिका –1 के अनुसार अन्य घोषणा पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है ।
5. अन्य स्त्रोतों के मामले में कंडिका –1 के अनुसार अन्य घोषणा पत्र संलग्न किया जावे आय का स्त्रोत भी बताया जावें ।
6. यदि छात्र/छात्रा को अन्य छात्रवृत्ति भी प्राप्त हो रही होतो छात्र./छात्रा को लिखित सहमति इस आशय, की, वह कौन सी छात्रवृत्ति लेना चाहता है अवश्य संलग्न किया जाये क्योंकि एक समय पर एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता है ।
7. हाईस्कूल /हायर सेकेन्डरी स्कूल की अंकसूची की प्रमाणिता प्रतिलिपि ।
8. छात्र/छात्रा का पासपोर्ट साइज का फोटो ।
9. राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्तमान छात्रवृत्ति की मासिक दर रूपये 60/– एवं रूपये 300/– के स्थान पर रूपये 250/– एवं रूपये 750/– की गयी है ।
10. छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु छात्र के माता–पिता के वार्षिक आय रूपये 25000/– से बढ़ाकर रूपये 1,00,000/– की गयी है ।

11. अधिक आय समूह के छात्रों को रूपये 100/– पुरुस्कार तथा योग्यता प्रमाणपत्र देना बंद कर दिया है ।

12. हायर सेकेन्डरी प्रावीण्य सूची के आधार पर स्नातक एवं व्यवसायिक एवं यांत्रिकीय पाठ्यक्रमों के लिये भारत सरकार के पत्र दिनांक 3.10.05 के अनुसार स्नातक स्तर के लिये 245 किया गया है । प्रति छात्र रूपये 500/– प्रतिमाह की दर से 10 माह का अकादमिक वर्ष के लिये देय है । इस हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल मेरिट सूची के आधार पर स्कूल के प्राचार्यो को आवेदन भेजन हेतु लिखेंगे । छात्र आवेदन भर कर सीधे आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय को भेजेंगे तथा मेरिट सूची के आधार पर मान्य किये जायेगे ।

13. स्नातकोत्तर उपाधि हेतु 82 छात्रों का कोटा निर्धारित किया गया है । जिसकी दर रूपये 750/– है, जो कि आकदमिक वर्ष में 10 माह के लिये देय है । मध्यप्रदेश स्थित समस्त विश्वविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रावीण्य सूची मंगायी जावेगी तथा मेरिट के आधार पर छात्र वृत्ति प्रदान की जायेगी ।

कृपया उपरोक्तानुसारयोजना का प्रचार प्रसार कर, समय पर आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्न – भारत शासन योजना पत्र दिनांक
16..2.05

आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित

अतिरिक्त संचालक(छात्रवृत्ति)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन